"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 मई 2023 — वैशाख 29, शक 1945

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक 102/सी.एस.ई.आर.सी./2023.— विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 और 62 सहपठित धारा 181(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस हेतु आयोग को समर्थ बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021 (एतद् पश्चात् प्रमुख विनियम कहा जाएगा) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम, की रचना करता है, नामतः

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

(1) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 कहलाऐंगें।

(2) ये विनियम 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावशील होंगे।

2. कंडिका 2.2 का संशोधन — प्रमुख विनियम की कंडिका 2.2 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः

2.2 ये विनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे

(i) एकल उत्पादनकर्ता, थोक उपभोक्ता तथा स्वयमेव (केप्टिव) उपयोगकर्ताओं।
बशर्ते ऐसे एकल उत्पादनकर्ता या धारा 63 के अन्तर्गत आने वाले जेनेरेटिंग स्टेशन जो आनुषांगिक सेवाएं भी प्रदान कर रहे हो तथा अनुज्ञप्तिधारी एवं/या उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति हेतु संसूचीकरण, ऊर्जा–मापन या लेखांकन हेतु एस.एल.डी.सी. की सेवाएँ प्राप्त करते हों या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र या ऐसे अन्य किसी उद्देश्यों हेतु जो आयोग के द्वारा समय–समय पर अनिवार्य किये गए हों, को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट शुल्क एवं प्रभारों का भुगतान करना होगा।

(ii) जेनेरेटिंग स्टेशन एवं पारेषण प्रणाली जिनके टैरिफ, केंद्रीय सरकार के द्वारा अधिसूचित प्रतिस्पर्धात्मक बोली संदर्शिका के अनुसरण में प्रतिस्पर्धात्मक बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञात किये गए हैं एवं अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत विवेकपूर्ण परीक्षण के उपरांत आयोग द्वारा अपनायी गयी है।

3. **कंडिका 3.10क को जोड़ा जाना – प्रमुख विनियम की कंडिका 3.10 के बाद निम्नलिखित कंडिका 3.10क को जोड़ा जाता है, नामतः**

3.10क **"विलंबित भुगतान अधिभार की आधार दर"** से भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्षीय निधि आधारित ऋण दर की सीमांत लागत, जो कि वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से लागू होती है, जिसमें वह अवधि निहित है, के साथ–साथ 5 प्रतिशत और निधि आधारित ऋण दर की सीमांत लागत के अभाव में, कोई अन्य व्यवस्था जो इसे प्रतिस्थापित करती हो, जिसे केन्द्र सरकार ने राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, विर्निदिष्ट किया हो, से अभिप्रेत है;

परन्तु यदि व्यतिक्रम की अवधि दो या अधिक वित्तीय वर्षों के बीच है, विलंब भुगतान अधिभार **के आधार दर कि** गणना, अलग–अलग वर्षों में आने वाली अवधि के लिए अलग से की जाएगी;

4. **कंडिका 3.85 का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 3.85 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः**

3.85 इन विनियमों में प्रयुक्त और यहां अपरिभाषित रहें, तथापि अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें अधिनियम या अधिनियम कि धारा 176/181 के अन्तर्गत केन्द्र/राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियम या आयोग द्वारा अन्य अधिसूचित विनियमों में दिया गया है, परन्तु जहां किसी शब्द या वाक्यांश का उपयोग आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट संदर्भ में किया गया हो, वहां उस विशिष्ट संदर्भ में प्रयोज्य अर्थ अभिभावी होगा और ऊपर दी गई जेनरिक (मूल) परिभाषा प्रयोज्य न हो सकेगी।

5. **कंडिका 15 का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 15 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः –**

15. **टैरिफ आदेश के प्रति अनुसक्ति (एडहेरेन्स टू टैरिफ आर्डर):**

टैरिफ निर्धारण के समस्त आदेश अगले टैरिफ आदेश जारी होने तक निरंतर प्रवर्तित बने रहेंगे। सामान्यतया कोई टैरिफ या टैरिफ का कोई भाग किसी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक बार, सिवाय आयोग द्वारा अनुमोदित "ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार" (एफ.पी.पी.ए.एस.) सूत्र के आधार पर ईंधन लागत और विद्युत क्रय की वजह से हुए समायोजनों को छोड़कर, संशोधित नहीं किया जाएगा।

6. **कंडिका 26.1(क)(vi) का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 26.1(क)(vi) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः –**

(vi) 45 दिवस के लिए विद्युत विक्रय हेतु क्षमता प्रभारों (केपेसिटी चार्ज) और ऊर्जा प्रभारों (इनर्जी चार्ज) के समतुल्य लेनदारी (रिसिवेबल) जिन्हें मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धताकारक पर परिगणित किया गया है।

7. **कंडिका 26.1(क) के परंतुक के पैरा (ग) का संशोधन – कंडिका 26.1(क) के परंतुक के पैरा (ग) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः –**

(ग) मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के आधार पर परिगणित 45 दिवस का विद्युत विक्रय का पूरक क्षमता प्रभार एवं पूरक ऊर्जा प्रभार के समतुल्य लेनदारी (रिसिवेबल);

8. **कंडिका 26.1(ख)(iii) का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 26.1(ख)(iii) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः –**

(iii) 45 दिवस की स्थिर लागत के समतुल्य लेनदारी (रिसिवेबल)

9. **कंडिका 26.1(ग)(iii) का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 26.1(ग)(iii) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः –**

(iii) 45 दिवस की स्थिर लागत के समतुल्य लेनदारी (रिसिवेबल)

10. **कंडिका 26.1(ङ) का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 26.1(ङ) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः –**

26.1(ङ) विद्युत के खुदरा प्रदाय हेतु :

i. 15 दिवस के लिये ओ. एंड एम. व्यय, धन

ii. विनियम 92.6.2 में विनिर्दिष्ट संधारण एवं सामान्य व्यय का 20 प्रतिशत की दर से संधारण पुर्जे; धन

iii. प्रचलित टैरिफ पर, राज्य के भीतर, विद्युत के विक्रय से प्राप्त, 15 दिवस के राजस्व के समतुल्य लेनदारी (रिसिवेबल)।

11. **कंडिका 26.1(च)(iii) का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 26.1(च)(iii) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः –**

(iii) 45 दिवस के प्रणाली परिचालन प्रभार एवं बाजार प्रचालन प्रभार, आयोग द्वारा यथा अनुमोदित, के समतुल्य लेनदारी (रिसिवेबल)

12. **कंडिका 26.2 का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 26.2 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः –**

26.2 वास्तविकीकरण के समय उत्पादन कंपनी, एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा एस. एल.डी.सी. की कार्यशील पूँजी की आवश्यकता की संगणना हेतु लेनदारी (रिसिवेबल) 45 दिवसों के वास्तविक राजस्व देयक (बिल) के समतुल्य किया जाएगा एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी की कार्यशील पूँजी की आवश्यकता की संगणना हेतु लेनदारी (रिसिवेबल) 15 दिवसों की वास्तविक राजस्व देयक (बिल) के समतुल्य किया जाएगा;

13. **कंडिका 26.5 को जोड़ा जाना – प्रमुख विनियम की कंडिका 26.4 के बाद निम्नलिखित कंडिका 26.5 को जोड़ा जाता है, नामतः –**

26.5. इन विनियमों के प्रावधानों के बावजूद, अधिनियम के अनुसरण में केंद्रीय या राज्य सरकार, यथा प्रकरण तथैव, के द्वारा धारा 176 या धारा 180 के तहत अधिसूचित अधिभार के भुगतान के संबंध में उत्पादन कंपनी, एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा एस.एल.डी.सी. की कार्यशील पूंजी की संगणना हेतु लेनदारी को उतने दिवसों के लिये लगाया जाएगा जितना कि नियमों में नियत हो।

14. **कंडिका 29 का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 29 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः –**

29. विलंबित भुगतान पर अधिभार

29.1 जहाँ किसी हितग्राही/ राज्यांतरिक एकक के द्वारा इन विनियमों के तहत देय प्रभारों के देयकों के भुगतान में देयक के दिनांक से 45 दिवसों से अधिक विलंब किया जाता है वहाँ उत्पादन कंपनी या एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या एस.एल.डी.सी./प्रणाली परिचालनकर्ता के द्वारा बकाया राशि पर उस अवधि की आधार दर से चूक के पहले महीने के लिये विलंबित भुगतान अधिभार प्रभारित किया जाएगा। वास्तविकीकरण के समय हितग्राही/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान किए गए/प्राप्त विलम्बित भुगतान अधिभार को व्यय/राजस्व, यथा प्रकरण तथैव, के रूप में विचार में नहीं लिया जाएगा।

खुदरा उभोक्ताओं से विलंबित भुगतान अधिभार, प्रयोज्य टैरिफ आदेश के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार वसूली योग्य होगा।

उत्तरोत्तर मासों मे व्यतिक्रम के लिए विलंब भुगतान अधिभार की दर में विलंब के प्रत्येक माह के लिए 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी परंतु विलंब भुगतान अधिभार किसी भी समय आधार दर से तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

परंतु वह दर जिस पर विलंब भुगतान अधिभार का भुगतान किया जाएगा, करार, यदि कोई हो, में विर्निदिष्ट विलंब भुगतान अधिभार की दर से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते आगे यह कि राज्य के स्वामित्व वाले उत्पादन स्टेशनों के लिए अधिनियम द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्तियों के अन्तर्गत सक्षम सरकार द्वारा नियम अधिसूचित किए जाने तक, भुगतान प्रतिभूति तंत्र राज्य सरकार द्वारा तय किया जाएगा और जब तक राज्य सरकार द्वारा इस तरह के तंत्र का निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक राज्य के स्वामित्व वाले उत्पादन स्टेशन, राज्य वितरण कंपनी को बिजली आपूर्ति विनियमित नहीं करेंगे।

29.2 किसी उत्पादन कंपनी या व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी को उनसे खरीदी गयी विद्युत के वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण प्रणाली किसी उपयोक्ता द्वारा पारेषण अनुप्तिधारी को सभी भुगतान सबसे पहले विलंब भुगतान अधिभार के प्रति और तत्पश्चात्, सबसे पुराने अतिदेय बिलों से आरम्भ करते हुए, मासिक प्रभारों के प्रति, समायोजित किये जाऐंगे।

29.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी यथास्थिति, उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, को बकाया देय तथा किस्तों के संख्या जिनमें, बकाया देय का भुगतान किया जाना है, को लिखित में संप्रेषित करेगा और संप्रेषण इन नियमों के प्रख्यापन से 30 दिवस के भीतर भेजा जाएगा।

परंतु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी मास में, उस मास कि बराबर मासिक किस्त से अधिक का भुगतान भी कर सकता है।

परंतु यह कि सभी यथास्थिति, संबंधित उत्पादक कंपनियों, पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों को किस्तों का भुगतान, उनके वैयक्तिक बकाया देय के अनुपात पर निर्भर करते हो, यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

29.4 विनियम 29.1 में किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञप्तिधारी विद्युत (विलम्ब भुगतान अधिभार और संबंधित मामाले) नियम, 2022 (एलपीएस नियम, 2022) के अधीन नियत की गई किस्त के अनुसार बकायों के भुगतान हेतु सहमत होता है, और इन किस्तों का समय से भुगतान करता है तो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से बकाया देय पर विलंब भुगतान अधिभार भुगतान योग्य नहीं होगा।

29.5 विनियम 29.1 के अधीन किसी किस्त के भुगतान के विलंब के मामले में, एलपीएस नियम, 2022 के अधिसूचना की तारीख को सम्पूर्ण बकाया देय पर विलंब भुगतान अधिभार देय होगा।

29.6 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी उत्पादक कंपनी या पारेषण कंपनी या किसी व्यापार कंपनी को इससे विद्युत के क्रय के लिए देय सभी बिल, बिल प्रस्तुत करने के तारीख और समय के संबंध में समय अंकित होंगे और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया भुगतान पहले सबसे पुराने बिल के लिए और फिर दूसरे सबसे पुराने बिल के लिए और फिर इसी क्रम में समायोजित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की जब तक सभी पुराने बिलों का भुगतान न कर दिया गया हो, तब तक किसी बिल के भुगतान को समायोजित नहीं किया जाएगा।

परंतु विलंब भुगतान अधिभार के लिए हुई समायोजन विनियम 29.2 में यथाविर्निदिष्ट रीति से किया जाएगा।

29.7 यदि विलंब भुगतान अधिभार से संबंधित कोई प्रावधान और कार्यप्रणाली जो एलपीएस नियम 2022 में उपलब्ध है किन्तु इस विनियम में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए है तो ऐसे प्रावधान एलपीएस नियम 2022 के अनुसार होंगे।

आगे यह कि यदि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 176 या धारा 180 के अन्तर्गत प्रचलित नियमों में संशोधन करती है या कोई नया नियम बनाती है, जैस भी मामला हो, विनियमों के प्रावधानों के बावजूद, विलंब भुगतान अधिभार से संबंधित ऐसे नियम के प्रावधान लागू होंगे।

15. कंडिका 37.1 का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 37.1 की टीप में बिन्दु 4 के बाद बिन्दु 5 को प्रविष्ट किया जाता है, नामतः –

5. केंद्रीय सरकार के द्वारा अधिसूचित विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021, समय–समय पर यथा संशोधित, उत्पादन कंपनी पर लागू होगा।

परन्तु यह कि उस परिस्थिति में जब अधिनियम की धारा 62 या 63 के तहत टैरिफ के अवधारण के पश्चात् किसी विधि के संशोधन या निरसन की वजह से विधि में परिवर्तन हुआ हो, तब उत्पादन कंपनी प्रभावित पक्षकार की हैसियत से विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021, समय–समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत प्रभावित राशि (अचर/आवर्ती) की वसूली हेतु प्रपत्रों एवं प्रक्रियाओं के एक बार अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होंगे। नियमों के अनुसरण में परिवर्ती वसूली तदनुसार की जाएगी।

16. कंडिका 45.3क को जोड़ा जाना – प्रमुख विनियम की कंडिका 45.3 के बाद कंडिका 45.3क को जोड़ा जाता है, नामतः –

45.3क जहां किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में ईंधन की कमी हो जाती है वहां उत्पादन कंपनी अधिकतम मांग के घंटों के दौरान उच्चतर मेगावाट का प्रदाय प्रस्तावित कर सकती है, जिससे ऑफ पीक घण्टों के दौरान ईंधन की बचत हो सके। उस स्थिति में राज्य भार प्रेषण केन्द्र उत्पादन केन्द्र के लिए, हितग्राहियों के परामर्श से, एक व्यावहारिक दिवस पूर्व, अनुसूची विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिससे इसकी मेगावाट और विद्युत क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके । ऐसी स्थिति में औसत घोषित क्षमता को राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उस दिन के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूची में अधिकतम पीक अवर एक्स पॉवर प्लाण्ट मेगावाट के समतुल्य लिया जाएगा।

17. कंडिका 45.11 का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 45.11 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः –

45.11 प्राथमिक ईंधन मूल्य में मासिक वृद्धि की वसूली इन विनियमों के विनियम 93 में दर्शाए ईंधन लागत समायोजन प्रणाली के अनुसार की जाएगी।

18. कंडिका 72 का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 72 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः –

72. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इस विनियम के अध्याय – 2 में विनिर्दिष्ट रीति से पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत करेगा।

परन्तु यह कि समस्त राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली जिनकी लागत सीमा रु. 250 करोड़ से अधिक हो तथा वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विकसित किये जाएंगे तथा उन्हें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अन्तर्गत आयोग के द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा

जारी सुसंगत संदर्शिका (तथा उनके संशोधनों) के अनुसरण में विवेकपूर्ण परीक्षण के उपरांत अपनाया जाएगा।

सम्पूर्ण राज्यांतरिक स्वतंत्र पारेषण प्रणाली, उर्ध्वधारा/अधोधारा परियोजनाओं सहित, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विकसित करने हेतु बोलिआँ आमंत्रित करने के लिए एकल परियोजना के रूप में गढ़ी जाएंगी।

उस परिस्थिति में जहाँ राज्य सरकार/एस.टी.यू. कोई राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली जो लागत सीमा से ऊपर है, किसी विशिष्ट कारणवश जैसे परियोजना रणनैतिक महत्त्व की है या दुश्कर प्रकृति की है या परियोजना स्वामित्व अथवा गठजोड़ का मुद्दा खड़ा कर सकती है, लागत धन प्रकार से विकसित करने की इच्छुक हैं, तब राज्य सरकार ऐसी रणनैतिक महत्त्व और दुश्कर प्रकृति की परियोजनाओं का निर्णय लेगी तथा राज्य सरकार/एस.टी.यू. इस बाबत आयोग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी।

19. कंडिका 73.1 का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 73.1 की टीप के बिन्दु 4 के बाद बिंदु 5 को प्रविष्ट किया जाता है, नामतः –

5 केंद्रीय सरकार के द्वारा अधिसूचित विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021, समय–समय पर यथा संशोधित, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर लागू होगा।

परन्तु यह कि उस परिस्थिति में जब अधिनियम की धारा 62 या 63 के तहत टैरिफ के अवधारण के पश्चात् किसी विधि के संशोधन या निरसन की वजह से विधि में परिवर्तन हुआ हो, तब पारेषण अनुज्ञप्तिधारी प्रभावित पक्षकार की हैसियत से विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021, समय–समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत प्रभावित राशि (अचर/आवर्ती) की वसूली हेतु प्रपत्रों एवं प्रक्रियाओं के एक बार अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होंगे। नियमों के अनुसरण में परिवर्ती वसूली तदनुसार की जाएगी।

20. कंडिका 92.4.4 का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 92.4.4 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः –

92.4.4 विद्युत क्रय की लागत में मासिक बढ़त, इस विनियम के विनियम 93 में वर्णित ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (एफ.पी.पी.ए.एस.) क्रियाविधि के अनुसार, वसूली–योग्य होगी।

21. कंडिका 93 का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 93 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः –

93. ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (एफ.पी.पी.ए.एस.)

93.1 $n^{वें}$ माह के वास्तविक टैरिफ की तुलना में टैरिफ आदेश में अनुमोदित $n^{वें}$ माह के टैरिफ में विचलन के हिसाब की रकम (कोयले की पहुँच लागत तथा विवेकपूर्ण परीक्षण इत्यादि के उपरांत प्रतिष्ठित तृतीय पक्षकार एजेंसी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र/जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिक ईंधन का सकल कैलोरिफिक मान में विचलन के फलस्वरूप) उन उत्पादन स्टेशनों के द्वारा जो राज्य में स्थित हैं तथा राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय करते हैं, मासिक आधार पर निश्चित किये जाएंगे तथा $(n+2)^{वें}$ माह के नियमित मासिक देयकों के द्वारा पंक्ति मद नामतः ईंधन एवं अन्य व्यय के बतौर वसूल किये जाएंगे।

उदाहरण :– वितरण अनुज्ञप्तिधारी को बिजली की आपूर्ति करने वाली उत्पादन कंपनी अप्रैल महीने का ईंधन लागत समायोजन (एफ.सी.ए.), मई महीने के दौरान आपूर्ति की

गई बिजली के बिल जो कि जून महीने में जारी किया जाएगा, में एक पंक्ति मद के रूप में जुटाएगी।

93.2 उत्पादन कंपनी द्वारा अपने प्रत्येक तापीय विद्युत केन्द्र के लिए प्रत्येक माह हेतु एफ.सी.ए. पृथकतः परिगणित किया जाएगा। किसी माह के लिए एफ.सी.ए. की गणना निम्नानुसार की जाएगीः–

FCA, (रूपयों में) = माह के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्स बस) X मासिक ऊर्जा प्रभार दर में परिवर्तन, (ई.सी.आर.) मासिक ऊर्जा प्रभार में अंतर = ECR (T) - ECR (M)

जहां,

ECR (T) = मासिक ऊर्जा प्रभार, टैरिफ ओदश में उस विशिष्ट संयंत्र के लिए विनिर्दिष्ट

ECR(M) = विशिष्ट संयंत्र हेतु विशिष्ट माह के लिए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिगणित ECR

ECR (M) = {(GHR – SFC x CVSF) x LPPF / CVPF } x 100 / (100 – AUX)

जहां,

AUX = मानकीय सहायक विद्युत खपत, प्रतिशत में

CVPF = प्राथमिक ईंधन का सकल कैलॉरिफिक मान प्राप्ति के रूप में, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम में,

CVSF = द्वितियक ईंधन का कैलॉरिफिक मान, किलो कैलोरी प्रति मिली लीटर में, टैरिफ आदेश में यथाविचारित

GHR = मानकीय सकल स्थानक ऊष्मा दर, (नॉर्मेटिवग्रास स्टेशन हीट रेट) किलो कैलॉरी प्रति किलोवाट अव्हर में टैरिफ आदेश में यथा अनुमत

LPPF = प्राथमिक ईंधन की वास्तविक भारांकित औसत पहुँच–कीमत, प्रति किलोग्राम, रूपयों में

SFC = मानकीय विशिष्ट ईंधन तेल खपत, मिली लीटर प्रतिकिलोवाट अव्हर में

उत्पादन कंपनी, मानकीय जी.एस.एच.आर., मानकीय सहायक खपत, मानकीय विशिष्ट द्वितीयक ईंधन तेल खपत, कोयले की भारांकित औसत जी.सी.व्ही. प्राप्ति के रूप में और प्राथमिक ईंधन की वास्तविक भारांकित औसत पहुँच–कीमत के आधार पर ई.सी.आर. तैयार करेगा।

परन्तु यह भी कि यदि उत्पादन कंपनी के द्वारा वास्तविकीकरण के वक्त कोई अतिरिक्त दावा दायर किया जाता है, तो वह विवेकपूर्ण परीक्षण के अध्यधीन लिखित में अभिलेखित कारणों से पुष्ट होगा।

परन्तु यह कि उत्पादन कंपनी हेतु अनियंत्रणीय कारणों से, जिसमें किसी माह की समस्त प्रमाणित जाँच रिपोर्ट की अनुपलब्धता भी शामिल हैं, उत्पादन कंपनी उस माह के लिये प्राविधिक ईंधन एवं अन्य व्यय प्रभार जारी करेगी, जिस माह में उक्त अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होगी उस से अगले माह में अंतिम (फायनल) देयक तैयार किया जाएगा तथा अंतर की रकम की मांग की जाएगी।

कोयला आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशनों द्वारा ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के आंशिक या पूर्ण उपयोग के मामले में, उत्पादन कंपनी और हितग्राहियों द्वारा उनके बिजली खरीद समझौते में सहमति के अलावा या ईसीआर के निर्धारण के लिए संबंधित टैरिफ आदेश में विचार के अनुसार सम्मिश्रण के माध्यम से ईंधन की कमी या किफायती संचालन के अनुकूलन, ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग की अनुमति उत्पादन स्टेशन को दी जाएगीः बशर्ते कि जहां ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग पर ईंधन की भारित औसत कीमत, आयोग द्वारा अनुमोदित आधार ऊर्जा प्रभार दर के 20% से अधिक हो, उस स्थिति में, हितग्राही के साथ पूर्व परामर्श

और आयोग के अनुमोदन के बाद ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग पर विचार किया जाएगा।

93.3 इन नियमों के लिए "ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार" (एफ.पी.पी.ए.एस.) का अर्थ आयोग द्वारा अनुमोदित आपूर्ति की लागत के संदर्भ में ईंधन लागत, विद्युत क्रय लागत और पारेषण प्रभारो में परिवर्तन के कारण, उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई, विद्युत की लागत में वृद्धि से है।

बशर्ते कि किसी महीने के बिजली बिक्री बिल के साथ उत्पादक कंपनी/स्टेशन से प्राप्त एफसीए बिल को वितरण कंपनी द्वारा उसी महीने की बिजली खरीद लागत माना जाएगा।

उदाहरण के लिए:—यदि कोई वितरण कंपनी किसी उत्पादन कंपनी से दीर्घकालिक आधार पर बिजली खरीद रही है और आयोग द्वारा विस्तृत प्रक्रिया के आधार पर उत्पादन कंपनी 'अप्रैल' महीने के ऊर्जा बिल के साथ पूर्व अवधि के लिए ईंधन लागत समायोजन का दावा करती है। तब एफसीपीएएस की गणना के उद्देश्य से, वितरण कंपनी ऐसे एफसीए को केवल 'अप्रैल' महीने की बिजली खरीद लागत के हिस्से के रूप में मानेगी।

93.4 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की स्वतः विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरे बिना, मासिक आधार पर, संबंधित राज्य आयोग द्वारा निर्धारित विनियम के अनुसार, ट्रू—अप के अध्यधीन, वार्षिक आधार पर, जैसा कि आयोग द्वारा तय किए गए अनुसार, संगणना की जाएगी और उपभोक्ताओं को बिल भेजा जाएगाः

परन्तु इन नियमों के अनुसार मासिक बिलिंग के लिए स्वचालित पास—थ्रू को समायोजित किया जाएगा।

93.5. ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा ईंधन और विद्युत क्रय की लागत में, वास्तविक भिन्नता और $n^{वें}$ माह के दौरान खरीदी गई विद्युत के लिए अंतर—राज्यीय पारेषण प्रभारों के आधार पर $(n+2)^{वें}$ माह में संगणना की जाएगी और प्रभारित की जाएगी। उदाहरण के लिए, किसी वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के दौरान आपूर्ति की गई विद्युत के लिए टैरिफ में परिवर्तनों के कारण ईंधन और विद्युत क्रय अधिभार की संगणना की जाएगी और उसी वित्तीय वर्ष के जून माह में अप्रैल माह की ऊर्जा प्रभार पर बिल किया जायेगा।

परंतु यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारक, किसी अप्रत्याशित घटना के मामले के अलावा, ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणना करने और प्रभारित करने में विफल रहता है, तो इसका ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के कारण लागत की वसूली का अधिकार वापस ले लिया जाएगा और ऐसे मामलों में, ट्रू—अप के दौरान निर्धारित ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की वसूली का अधिकार भी वापस ले लिया जाएगा।

93.6 वितरण अनुज्ञप्तिधारक यह निर्णय ले सकेगा कि ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार या उसका एक भाग, उपभोक्ताओं को किसी टैरिफ आघात से बचाने के लिए अगले माह तक आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार को आगे बढ़ाये जाने की अवधि अधिकतम दो माह से अधिक नहीं होगी और इसे तभी आगे बढ़ाया जाएगा, यदि किसी बिलिंग माह के लिए कुल ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार, जिसमें पिछले माह में ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार को किसी प्रकार आगे बढ़ाए जाने सहित, अनुमोदित टैरिफ के परिवर्तनीय घटक के 20 प्रतिशत से अधिक हो।

93.7 आगे बढ़ाए गए अधिभार को एक वर्ष के भीतर या अगले टैरिफ चक्र से पहले, जो भी पहले हो वसूला जाएगा तथा ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के माध्यम से वूसली गई धनराशि को पहले ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार सबसे पहले आगे बढ़ाए गए भाग के अनुसार संगणित किया जाएगा और इसका अनुसरण बाद के माह में भी किया जाएगा।

93.8 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार को आगे बढ़ाए जाने के मामले में, भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ पॉइंट बेस्ट लेंडिंग रेट जमा एक सौ पचास बेसिस पॉइट की अनुमति दी जाएगी जब तक कि इसे टैरिफ के माध्य से वसूला नहीं जाता और इस वहनीय लागत का ट्रू–अप विचाराधीन वर्ष में किया जाएगा।

93.9 ईंधन की मात्रा और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के आधार पर, स्वचालित पास–थ्रू को इस तरह से समायोजित किया जाएगा कि,

(i) यदि ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार $\leq$5% है, तो संगणित ईंधन की वसूली योग्य लागत का 100% तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार सूत्र का प्रयोग करते हुए स्वतः वसूला जाएगा।

(ii) यदि ईंधन और विद्युत क्रय समयोजन अधिभार >5%, 5% ईंधन और विद्युत क्रय समयोजन अधिभार उपरोक्त 93.9(i) के अनुसार स्वचालित रूप से वसूला जाएगा। शेष ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार का 90% को सूत्र का उपयोग करते हुए स्वचालित रूप से वसूला जा सकेगा और राज्य आयोग द्वारा ट्रू–अप के दौरान अनुमोदन के बाद अंतर संबंधी दावा वसूला जा सकेगा।

93.10 वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के माध्यम से वसूले गए राजस्व को, विचाराधीन वर्ष के लिए बाद में वार्षिक राजस्व आवश्यकता के ट्रू–अप के साथ ट्रू–अप किया जाएगा।

93.11 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के निमित्त वर्ष के लिए वसूले गए अतिरिक्त/अनतिरिक्त राजस्व के मामले में, इसे अनुज्ञप्तिधारकों में ट्रू–अप के समय इसकी वहनीय लागत के साथ वसूला जाएगा।

93.12 वितरण अनुज्ञप्तिधारक, निर्धारित प्रारूपों में, किए गए खर्च और वसूले गए ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के बीच भिन्नता के विवरण प्रस्तुत करेगा, और विस्तृत संगणनाएं और सहायक दस्तावेज, जो कि आयोग द्वारा अपेक्षित होंगी, सामान्य टैरिफ के ट्रू–अप के दौरान प्रस्तुत करेगा।

93.13 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार तंत्र के सुचारू कार्यान्वयन और इसकी वसूली सुनिश्चित करने के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुज्ञप्तिधारक संबंधी बिलिंग प्रणाली को उक्त को ध्यान में रखते हुए अद्यतित किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत बिलिंग प्रणाली लागू की जाएगी कि बिलिंग और मीटरिंग विक्रेता के बावजूद इन्टरऑपरेबिलिटी या यथा–उपलब्ध ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के माध्यम से एक समान बिलिंग प्रणाली मौजूद है।

93.14 अनुज्ञप्तिधारक ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार सूत्र, मासिक ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणना तथा ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (स्वचालित एवं अनुमोदित भागों के लिए अलग–अलग) की वसूली सहित सभी विवरण अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा और उसे एक समर्पित वेब पते के माध्यम से संगणित करेगा।

93.15 **ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणनाः**

सूत्रः

$$n^{वें} \text{ माह के लिए मासिक एफपीपीएएस (\%)} = \frac{(\text{ए}-\text{बी})*\text{सी} + (\text{डी}-\text{ई})}{\{\text{जेड}*(1 - \text{वितरण हानि \%}/100)\}*\text{एबीआर}}$$

जहां,

$(n+2)^{वें}$ माह का अर्थ वह माह होता है जिसमें ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार घटक की बिलिंग की जाती हैं। यह ईंधन और विद्युत क्रय समयोजन अधिभार $n^{वें}$ माह में आपूर्ति की गई विद्युत के लिए टैरिफ में बदलाव के कारण लगाया जाता है

ए सभी स्रोतों से $n^{वें}$ माह (केडब्ल्यूएच में) में खरीदी गई कुल युनिटें हैं जिनमें दीर्घावधि, मध्यम अवधि और अल्पावधि विद्युत खरीद (वितरण अनुज्ञप्तिधारकों को जारी किए गए बिलों से ली जाएगी) शामिल हैं

बी $n^{वें}$ माह में सभी स्रोतों से विद्युत की थोक बिक्री है। (केडब्ल्यूएच में) = (जिसे प्रत्येक माह की 10 वीं तारीख तक राज्य लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा जारी किए गए अनंतिम खातों से लिया जाना है एवं इसे एसएलडीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा)

सी वृद्धिशील औसत विद्युत क्रय लागत = $n^{वें}$ माह में सभी स्रोतों से वास्तविक औसत विद्युत क्रय लागत जल प्रभार, सांविधिक कर, ड्यूटी, उपकर सहित (पीपीसी) (रु/केडब्ल्यूएच) (संगणित) – सभी स्रोतों से अनुमानित औसत विद्युत क्रय लागत (पीपीसी) (रु/केडब्ल्यूएच)–(टैरिफ ऑर्डर से) है

डी $n^{वें}$ माह में वास्तविक अंतर–राज्यीय और अंतरा–राज्यीय पारषेण प्रभार, (ट्रांसको से डिस्कॉम द्वारा बिलों से) (रुपये में), हैं

ई $n^{वें}$ माह के लिए पारेषण प्रभारों की मूल लागत = (अनुमोदित पारेषण प्रभार/12) (रूपये में) है

जेड [{$n^{वें}$ माह में राज्य के बाहर सभी स्रोतों से खरीदी गई वास्तविक विद्युत (केडब्ल्यूएच में) * (1 – % में अंतर – राज्यीय पारेषण हानियां/100) + राज्य के भीतर सभी स्रोतों से खरीदी गई विद्युत (केडब्ल्यूएच में)– बी} * (1 – % में अंतरा–राज्यीय हानियां)]/100 केडब्ल्यूएच में

एबीआर = वर्ष के लिए औसत बिलिंग दर (रूपये/केडब्ल्यूएच में टैरिफ आदेश से लिया जाएगा)

वितरण हानियां (% में) = लक्षित वितरण हानियाँ (टैरिफ आदेश से)

अंतरा–राज्यीय हानियां (% में) = टैरिफ आदेश के अनुसार

93.16 विद्युत क्रय लागत में विचलन निपटान तंत्र के परिणाम स्वरूप कोई भी प्रभार शामिल नहीं होंगे।

93.17 अन्य प्रभारों जिनमें सहायक सेवाएं तथा सिक्योरिटी कंसट्रेंड इकोनोमिक डिस्पैच शामिल हैं, को ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार में शामिल नहीं किया जाएगा और राज्य आयोग द्वारा अनुमोदित ट्रू–अप के माध्यम से समायोजित किया जाएगा।

आयोग के आदेशानुसार

हस्ता./–

(सुधीर कुमार काले)
उप–सचिव.